उत्तर मध्य रेलवे

/

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/ Allowance
दिनांक : /04/2016

RBE No. 32/2016
NCR PS No.4852/2016

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: - Payment of Dearness Allowance to Railway Employees – Revised Rates Effective from 01.01.2016.

The copy of Railway Board's letter PC-VI/2008/I/7/2/1 dated 08.04.2016 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

Vhs. 4.16

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

Government of India भारत सरकार
Ministry of Railways रेल मंत्रालय
(Railway Board रेलवे बोर्ड)

RBE-2016767
11-4-16

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
11 APR 2016
महा प्रबन्धक सचिव

S.No. PC-VI/364 **RBE No. 32 /2016**

No. PC-VI/2008/I/7/2/1 **New Delhi, dated 08.04.2016**

N.C.Rly
The GMs/CAO(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees – Revised rates effective from 01.01.2016.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 24.09.2015 (S.No. PC-VI/356 RBE No. 115/2015) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 119% to 125 % with effect from 1st January, 2016.

2. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all railway employees. The arrears may be charged to the salary bill and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(M.K.Panda)
Jt. Director, Pay Commission
Railway Board.

No. PC-VI/2008/I/7/2/1 **New Delhi, dated 08.04.2016**

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

महाप्रबन्धक
अपर महाप्रबन्धक
मु. का. अधि.
मु. यांत्रिक अभि.
प्र. मु. अभि.
मु. वि. अभि.
मु. सं. एवं दू. सं. अभि.
मु. परि. प्र.
मु. वा. प्र.
मु. चिकि. [illegible]
मु. प्रशा. [illegible]
मु.प्रशा.अधि. [illegible]
वरि. उप [illegible]
वि. सं. एवं [illegible]
मु. [illegible]
भण्डार [illegible]
मु. सु. आ. [illegible]
मं. रे. प्र./इलाहाबाद
मं. रे. प्र./आगरा
मं. रे. प्र./झांसी
मु. का. प्र./झांसी
मु. का. प्र./सिथौली
उप महाप्रबंधक (सा.)
मु. जन. सं. अधि.
उप वि.सं.एवं [illegible]

मु०का०अधि०
मु०का०अधि० (प्रशा०)
उप मु०का०अधि० (राज)
उप मु०का०अधि० (मुख्या०)
अध्यक्ष (रे०न्या०प्र०)
उप मु०का०अधि०(आई०आर०)
प्र०का० अधि० (राज)
प्र०का० अधि० (मुख्या०)
प्र०का० अधि० (आई०आर०)
स०का० अधि० (कार्य)
स०का० अधि० (मुख्या०)
मु०का० अधीक्षक/का० अधीक्षक

Policy

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी-VI/364 **आर बी ई सं. 32 /2016**
सं. पी सी- VI/2008/I/7/2/1 **नई दिल्ली, दिनांक 08.04.2016**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2016 से लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 24.09.2015 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/356 आरबीई सं. 115/2015) का अवलोकन करें । राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2016 से 119% की मौजूदा दर से 125% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे ।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा । बकाया राशि का भुगतान वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है ।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(एम.के.पन्डा)
संयुक्त निदेशक/वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2008/I/7/2/1 नई दिल्ली, दिनांक 08.04.2016
प्रतिलिपि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते वित्त आयुक्त, रेलें.